मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या २६०/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं.५९३/२०१९)
श्रीमती अंगूरी देवी आदि बनाम अर्जुन सिंह आदि
२९.१२.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती अंगूरी देवी, लक्ष्मी नारायन एवं उत्तम द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक १२.१२.२०२० को लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निस्तारित की जा चुकी है। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिकर धनराशि ५,३०,०००/-रु. न्यायाधिकरण के खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी में जमा कर दी गयी है,जिसका यू.टी.आर. नं. ए एक्स आई एस पी ००१६८८२०२०० है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि उक्त प्रतिकर धनराशि उन्हें दिलाए जाने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती अंगूरी देवी का शपथपत्र ५सी२, अपने-अपने खाते की पासबुक व आधार कार्ड की छाया प्रतियां दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं. ५९३/२०१९ श्रीमती अंगूरी देवी आदि बनाम अर्जुन सिंह आदि व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया श्रीमती अंगूरी देवी ने अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि उसकी जानकारी में विपक्षीगण द्वारा न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक १२.१२.२०२० को **राष्ट्रीय लोक अदालत** में सुलहनामा के आधार पर ₹ ५,३०,००० हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिस प्रतिकर धनराशि में से याचीगण सं. १ लगायत ३ प्रत्येक को क्रमशः ४५, २५ व ३० प्रतिशत भाग प्राप्त होना है, तथा याची सं. १ लगायत ३ को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर धनराशि में से २५-२५ प्रतिशत भाग आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए उन्हें अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त होनी है तथा उनकी शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की ५-५ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जानी है। कार्यालय आख्या के अनुसार बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार यू.टी.आर. नं. ए एक्स आई एस पी ००१६८८२०२०० से ₹ **५,३०,०००** दिनाँक २३.१२.२०२० को पी.एन.बी. शाखा झोकनबाग, झाँसी में जरिए नेफ्ट भेजने का विवरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अपने-अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं। उक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रकरण में क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹ ५,३०,००० जमा की जा चुकी है। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण प्रकरण में जमाशुदा उपरोक्त धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने-अपने बैंक खाते में नकद एवं वर्णित एन्युटी के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ५९३/२०१९ (प्रकीर्ण वाद सं. २६०/२०२० श्रीमती अंगूरी देवी आदि बनाम अर्जुन सिंह आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मय अर्जित ब्याज को प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursement	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Anguri Devi	178875	33.75	Annuity for 5 Years	___	Any Nationalized Bank	____
1. Smt Anguri Devi	59625	11.25	Elect. Mode RTGS/NEFT	7279000100079635	PNB Branch Block Pramukh Main Road Chirgaon 284301	PUNB0727900
2. Laxmi Narayan	99375	18.75	Annuity for 5 Years	___	Any Nationalized Bank	____
2. Laxmi	33125	6.25	Elect.	7279000100	PNB Branch	PUNB0727

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.04 15:52:26 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

Narayan			Mode RTGS/NEFT	079644	Block Pramukh Main Road Chirgaon 284301	900
3. Uttam	119250	22.5	Annuity for 5 Years	___	Any Nationalized Bank	____
3. Uttam	39750	7.5	Elect. Mode RTGS/NEFT	7279000100079653	PNB Branch Block Pramukh Main Road Chirgaon 284301	PUNB0727900
Total	**530000**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।